भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4086
जिसका उत्तर 19.12.2024 को दिया जाना है

राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंस और सुरक्षा सेवाएं

4086. सुश्री इकरा चौधरी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) विगत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर तैनात की गई एम्बुलेंसों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर एम्बुलेंसों की तैनाती के मानदंड क्या हैं;
(ग) क्या इन एम्बुलेंसों द्वारा प्रदान की जा रही आपातकालीन देखभाल की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए कोई संपरीक्षा की जा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) एम्बुलेंस को राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना प्रबंधन प्रणाली के एक भाग के रूप में तैनात किया जाता है, जो बदले में ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के माध्यम से निष्पादित संचालन और रखरखाव का एक हिस्सा है। पिछले तीन वर्षों में तैनात केंद्रीकृत एम्बुलेंस की संख्या इस प्रकार है:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	एम्बुलेंसों की संख्या
1	2021-22	930
2	2022-23	1003
3	2023-24	1074

(ख) एम्बुलेंस या तो टोल प्लाजा पर या उपयुक्त पाए गए स्थानों पर तैनात की जाती हैं। आम तौर पर, परियोजना राजमार्ग पर इसकी लंबाई पर ध्यान दिए बिना कम से कम एक एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जाती है और लंबी दूरी के लिए आम तौर पर 50-60 किलोमीटर के अंतराल पर एम्बुलेंस तैनात की जाती हैं।

(ग) क्षेत्रीय कार्यालय तथा पर्यवेक्षण परामर्शदाता नियमित रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात एम्बुलेंसों में उपकरणों तथा मानव शक्ति की उपलब्धता का निरीक्षण करते हैं।

(घ) (i) सड़क सुरक्षा को सड़क सुरक्षा परामर्शदाताओं और सड़क सुरक्षा लेखा परीक्षकों के माध्यम से डीपीआर चरण में ही एकीकृत किया गया है।

(ii) अनंतिम पूर्णता प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सुरक्षा कार्यों को पूरा करना 22.09.2022 से अनिवार्य कर दिया गया है।

लिफ्टों/रैम्पों की व्यवस्था सहित एफ़ओबी के निर्माण के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सौंपी गई हैं ।

(iv) पूरे भारत में परियोजना कार्यों में लगे क्षेत्रीय अधिकारियों/रियायतग्राहियों/ठेकेदारों/परामर्शदाताओं के प्रशिक्षण के माध्यम से सुरक्षा उपायों पर क्षमता निर्माण।

(vii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मध्यमार्गीय खुले स्थानों और जंक्शनों, शहरी/आबादी वाले क्षेत्रों में निर्मित फुटपाथों/पथों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के आबादी वाले भागों में स्ट्रीट लाइटिंग पर पैदल यात्रियों के लिए चिह्न लगाए गए हैं।

(viii) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क उपयोगकर्ताओं के सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने और उसे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख कार्यकलाप की जाती हैं:

- सड़क सुरक्षा पर वॉकथॉन, प्रदर्शनी के साथ-साथ निबंध लेखन/पोस्टर प्रतियोगिता/ नुक्कड़ नाटक और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना।
- सुरक्षा सप्ताह के दौरान टोल प्लाजा, सड़क किनारे के जनसुविधाओं, खाद्य स्टालों आदि पर सड़क प्रयोक्ताओं को पैम्फलेट आदि का वितरण।
- फ्लेक्स बैनर, कार्यशाला और चर्चा के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान।
- पीछे से होने वाली टक्कर से बचने के लिए रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग तथा टोल प्लाजा पर ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली, पशु गाड़ी आदि पर रिफ्लेक्टर/रेट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप लगाना।
- क्विज़ प्रतियोगिताओं, चित्रकला प्रतियोगिताओं, निबंध लेखन और भाषण प्रतियोगिताओं आदि के माध्यम से स्कूल/कॉलेज के छात्रों के लिए प्रेरणादायी और सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम ।
- पुलिस विभाग की सहायता से ओवरलोडिंग रोकने के लिए विशेष अभियान तथा तेज गति से वाहन चलाने, अनाधिकृत पार्किंग, नशे में वाहन चलाने आदि की जांच किया जाना।
- राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलने वाले ट्रक/बस चालकों के लिए स्वास्थ्य सह नेत्र जांच शिविर और चश्मे का वितरण।
- पर्चे वितरित करना, तथा सुरक्षा बैनर प्रदर्शित करना।
- ट्रक चालकों की थकान की जांच करना और उन्हें सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना।
- ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर सड़क सुरक्षा जागरूकता संदेश नियमित रूप से प्रसारित किए जा रहे हैं।

*****